झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

अष्टम(बजट)सत्र

संख्या-05

शनिवार, दिनांक-21 जनवरी, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.46 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में आरक्षण समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि इसपर सदन में निन्दा होनी चाहिए,

ii- झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य, श्री चम्पाई सोरेन एवं अन्य अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर पूर्व की भाँति CNT, SPT ACT में हुए संशोधन को वापस किये जाने की माँग करते हुए शनैः-शनैः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिसपर आसन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी और उन्हें अपने स्थान पर बैठने हेतु कहा गया।

2.सभा पटल पर कागजात का रखा जाना:-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा **Economic Survey of Jharkhand 2016-17** की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य सदन की वेल में अपनी माँगों को लेकर खड़े रहे। आसन द्वारा प्रश्नकाल पुकारा गया जो भारी शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण नहीं लिया जा सका। माननीय सदस्यों द्वारा लगातार सदन को बाधित किये जाने पर आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी तत्पश्चात् **कार्यवाही 11.16 बजे पूर्वा० से** लेकर भोजनावकाश तक के लिए स्थगित की गयी।

(स्थगनोपरांत)

3.वित्तीय कार्य:-

दिनांक-20.01.2017 को वित्तीय वर्ष-2016-17 के निमित्त प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा वाद-विवाद प्रारम्भ किया गया जिसमें माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने भी भाग लिया। सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा उत्तर दिया गया।

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तदुपरांत सभा द्वारा **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग''** से सम्बन्धित माँग बारी-बारी से मुखबंद (गिलोटिन) के माध्यम से स्वीकृत हुई।

(कृपया पृष्ठ उलटा जाय)

(इस क्रम में पूर्व की भाँति CNT, SPT ACT में हुए संशोधन को वापस किये जाने की माँग को लेकर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांशतः माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में धरने पर बैठ गये।)

4.विधायी कार्यः-

<u>झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2017</u>

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् **<u>झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2017</u>** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम ने गत दिनों चार माननीय सदस्यों के हुए निलम्बन की वापसी के सम्बन्ध में आसन से आग्रह किया लेकिन, अव्यवस्था के माहौल के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक-23.01.2017 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 21 जनवरी, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।